



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072025-264708
CG-DL-E-16072025-264708

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3177]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2025/आषाढ़ 25, 1947

No. 3177]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2025/ASHADHA 25, 1947

सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2025

का.आ. 3247(अ).— "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025 (2025 का 11), की धारा 22 की उप-धारा 2 के साथ पठित "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय परिनियम, 2025, की परिनियम 8 के अनुसरण में, "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय, आणंद, गुजरात की कार्यकारी परिषद का गठन एतद्वारा 16 जुलाई, 2025 से किया जाता है।

2. कार्यकारी परिषद के गठन में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1.	कुलपति, "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी - अध्यक्ष
2.	वित्तीय सलाहकार, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी	
3.	संयुक्त सचिव (सहकार से समृद्धि), सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
एनसीडीसी, नाबार्ड, एनएफडीबी और आरबीआई के नामनिर्दिष्ट सदस्य	

4.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)
5.	मुख्य महाप्रबंधक, संस्थागत विकास विभाग, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
6.	डॉ. एस. कन्नप्पन, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)
7.	मुख्य महाप्रबंधक एवं प्राचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)
नामनिर्दिष्ट सदस्य (चक्रानुक्रम के आधार पर)	
8.	प्रोफेसर माधवी मेहता, "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी
9.	प्रोफेसर सीमा सिंह रावत, "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी
सहकारी क्षेत्र से प्रख्यात डोमेन विशेषज्ञ	
10.	श्री डी. कृष्णा, पूर्व मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ लिमिटेड
11.	श्री जयन मेहता, प्रबंध निदेशक, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड
12.	श्री बालू अच्युत, क्षेत्रीय निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (एशिया और प्रशांत)
सदस्य-सचिव	
13.	कुलसचिव, "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी

3. पदेन सदस्यों के अलावा, नामनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. के-17/1/2025-एमओसी]

आनंद कुमार झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COOPERATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2025

S.O. 3247(E).— In pursuance of statute 8 of the “Tribhuvan” Sahkari University Statutes, 2025, read with sub-section 2 of section 22 of the “Tribhuvan” Sahkari University Act, 2025 (11 of 2025), the Executive Council of the “Tribhuvan” Sahkari University, Anand, Gujarat, is hereby constituted with effect from 16th day of July, 2025.

2. The constitution of the Executive Council shall consist of the following Members:-

1.	Vice-Chancellor, “Tribhuvan” Sahkari University - Chairperson
2.	Financial Adviser, Secretary, Ministry of Cooperation, Government of India
Joint Secretary and above level officer from the Ministry of Cooperation	
3.	Joint Secretary (Cooperation to Prosperity), Ministry of Cooperation, Government of India
Representatives of NCDC, NABARD, NFDB and RBI	
4.	Managing Director, National Cooperative Development Corporation (NCDC)
5.	Chief General Manager, Institutional Development Department, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)

6.	Dr. S. Kannappan, Senior Executive Director, National Fishery Development Board (NFDB)
7.	Chief General Manager & Principal, College of Agricultural Banking, Pune, Reserve Bank of India (RBI)
Nominated Members (on rotation basis)	
8.	Prof. Madhavi Mehta, "Tribhuvan" Sahkari University
9.	Prof. Seema Singh Rawat, "Tribhuvan" Sahkari University
Domain Experts from Cooperative Sector	
10.	Sh. D. Krishna, Former Chief Executive, National Federation of Urban Cooperative Banks
11.	Sh. Jayen Mehta, Managing Director, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd.
12.	Sh. Balu Iyer, Regional Director, International Cooperative Alliance (Asia and Pacific)
Member-Secretary	
13.	Registrar, "Tribhuvan" Sahkari University

3. The tenure of nominated members, other than ex-officio members, shall be for a period of three years.
4. This issues with the approval of the competent authority.

[F. No. K-17/1/2025-MoC]

ANAND KUMAR JHA, Jt. Secy.